न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली

पीठासीन अधिकारी :-श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :-134/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :- 2024/134

अपीलाण्ट :-

1. हिमता पुत्र तेजाजी

2. मृतक भूराराम पुत्र तेजाजी के वारिस

2/1 शंकरलाल पुत्र भूराराम

3. लाला पुत्र तेजाजी

4. रोशनी पुत्री मालाजी नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता अप्रार्थी संख्या 5 कमला पत्नी मालाजी

5. कमला पत्नी मालाजी

6. सांवला पुत्र मालाजी जातियान् कुम्हार, निवासीगण भागलभीम, तहसील भीनमाल, जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट :-

1. मंगलपुरी पुत्र मसरपुरीजी, जाति-स्वामी, निवासी नवापुरा, चंपावतान, तहसील भीनमाल, जिला जालोर

2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, भीनमाल, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.06.2019 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2019 अनवान मंगलपुरी बनाम हिमता वगैरा में उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल, जिला जालोर

उपस्थिति :-

1. श्री जूझाराम परमार, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री लादूराम पुनीया, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः- 29.10.24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल, के प्रकरण संख्या 01/2019 अनवान मंगलपुरी बनाम हिमता वगैरा में निर्णय दिनांक 10.06.2019 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 111 व 128 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है जो आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बिना तरमीम के ही पारित किया गया है जबकि बिना तरमीम के पत्थरगढी व नेखबन्दी नहीं की जा सकती है इस कारण भी अधीनस्थ का आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।

आलौच्य आदेश अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है तथा पत्रावली दिनांक 03.06.2019 को मुकर्रर थी, जिस पर अपीलार्थीगण की ओर से दिनांक 03.06.2019 को न्यायालय में होकर जवाब का एक अंतिम अवसर चाहा गया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के रिडर द्वारा दिनांक 10–06–2019 को आगामी तारीख पेशी मुकर्रर की गई, परन्तु इसके पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर बिना अपीलार्थीगण को सूचित किये आदेश दिनांक 10.06.2019 को मुकर्रर कर दी तथा दिनांक 10.06.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश पारित कर दिया। जब अपीलार्थीगण दिनांक 10.06.2019 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए, तब आलौच्य आदेश की जानकारी हुई। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया आलौच्य आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व नक्शे के अनुसार सभी पक्षकारों की भूमि पूर्ण किये जाने के बाद पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित नहीं किया है। इस कारण भी आलौच्य आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रत्यर्थी की भूमि मौके पर कम है तथा रेवेन्यू रेकर्ड में ज्यादा दर्ज है। इस कारण अपीलान्ट की भूमि में घुसकर नेकमबन्दी की कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है। जबकि न्याय का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि नेकमबन्दी की कार्यवाही से पहले मौके पर तहसीलदार या रेवेन्यू अधिकारियों से पेमाईश करवाई जाना आवश्यक है। इस प्रकरण में पेमाईश नहीं की गई है। इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।

28.10.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2019 को अपास्त व निरस्त किये जाने का आदेश फरमायें। अन्य उचित आदेश जो मान्यवर न्यायालय न्यायहित में पारित करना आवश्यक समझे तथा जो अपीलार्थीगण के पक्ष में हो सादिर फरमाया जावे।

रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

सरहद मौजा भागलभीम तहसील भीनमाल में वर्तमान आराजी खसरा नंबर 1624/1027 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1622/1028 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1026 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल रकबा 0.48 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम स्थित है, जिसकी खातेदारी अप्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई।

अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1026 रकबा 0.20 हैक्टेयर के उत्तर–पश्चिमी दिशा की ओर प्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1025 रकबा 0.29 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम मौजा भागलभीम आई हुई है, जिसकी खातेदारी प्रार्थी संख्या 1 से 6 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई।

अप्रार्थी व प्रार्थी संख्या 1 से 6 की आराजीयान के बीच में स्थित माठ व सीमा को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है। क्योंकि प्रार्थी संख्या 1 से 6 बाहुबली व राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है, जो अपने बाहुबल का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास करते रहे है। ऐसी स्थिति में सीमा का विवाद होने से अप्रार्थी एवं प्रार्थी संख्या 1 से 6 के मध्य कलह, क्लेश व लड़ाई–झगड़ा होने का खतरा बना रहता है। जिसको लेकर अप्रार्थी ने प्रार्थी संख्या 1 से 6 को इस संबंध में आपसी सहमति से सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया तो प्रार्थी संख्या 1 से 6 ने इन्कार कर दिया एवं उल्टा अप्रार्थी की आराजी की माठ को नुकसान कारित करने की धमकी दी।

अप्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 1026 रकबा 0.20 हैक्टेयर के उत्तरी–पश्चिमी दिशा की ओर प्रार्थी संख्या 1 से 6 की आराजी स्थित होने से प्रार्थी संख्या 1 से 6 अप्रार्थी की आराजी की माठ को नुकसान पहुंचाते रहते है तथा अवैध रूप से कब्जा करने की फिराक में रहते है इसलिए मौके पर हमेशा तनाव बना रहता है तथा कई बार विवाद उत्पन्न होने का भी खतरा बना हुआ है। इसलिए समय रहते उपरोक्त अप्रार्थी की आराजी की पैमाइश करवाकर स्थाई सीमा चिन्ह कायम किया जाना न्यायोचित है, वरना मौके पर तनाव बढेगा एवं वाद बाहुल्यता बढेगी।

अप्रार्थी व प्रार्थी संख्या 1 से 6 की आराजी के बीच स्थित माठ का सीमांकन तहसीलदार भीनमाल के नेतृत्व में राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर पुलिस की उपस्थिति में स्थाई बिन्दू से पैमाईश कर माफिक प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी व स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवाया जाना न्यायसंगत है।

अतः निवेदन है कि सरहद मौजा भागलभीम तहसील भीनमाल में स्थित अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1026 रकबा 0.20 हैक्टेयर की स्थाई बिन्दू से पैमाईश करवाई जाकर सीमांकन किया जाकर स्थाई सीमा चिन्ह (पत्थरगढी या कंटीले तारों की माठ) कायम करने का आदेश फरमावे।

29.10.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

विकल्प में यह भी निवेदन है कि उपरोक्त सीमांकन हेतु एक राजस्व टीम श्रीमान् तहसीलदार के नेतृत्व में हल्का पटवारी, हल्का आर.आई. सहित कम से कम पांच कर्मचारियों की टीम गठित कर पुलिस की उपस्थिति में उपरोक्त स्थाई सीमा चिन्ह (पत्थरगढी या कंटीले तारों की माठ) कायम करने आदेश फरमावे ।

6. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2019 को अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व एक्ट के अन्तर्गत खसरा न. 1026 रकवा 0.20 हैक्टेयर के स्थाई बिन्दु से पैमाईश एवं सीमांकन अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने के निर्णय पारित किया गया है। जिस हेतु प्रार्थी द्वारा राजकोष में राशि जमा करवाये जाने पर तहसीलदार भीनमाल को एक राजस्व टीम का गठन कर विधि अनुरूप स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करने का आदेश पारित किया गया है।

7. प्रकरण में उभय पक्षो द्वारा बहस की गई एवं सुनी गई। प्रकरण में अपीलाण्ट के विद्वान वकील श्री झूझाराम परमार का तर्क है कि यह अपीलाधीन आदेश धारा 111,128 राज. भू.राजस्व अधि. की मंशा के अनुरूप नही है।यह आदेश हमे बिना सुने पारित किया गया है। प्रकरण में पूर्व में हुए सीमाज्ञान में मुस्तकिल बिन्दु से नापने का काई उल्लेख नही है एवं नेकमबन्दी से पूर्व सीमाज्ञान विधि द्वारा स्थापित सहमति से होना आवश्यक है।

प्रकरण में वकील रेस्पोडेण्ट का कथन है कि प्रकरण में पूर्व में सीमाज्ञान की कार्यवाही दिनांक 3.4.2019 को सम्मपन्न हुई है। जिससे अपीलाण्टगण नही मानकर झगडा फसाद कर विवाद करते आ रहे है। अतः इस बात से परेशान होकर ही धारा 111, 128 में माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल के समक्ष निवेदन करने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में गुणावगुण पर समुचित विचारकर ही आलौच्य आदेश दिनांक 10.06.2019 पारित किया गया है। जिसकी पालना आज तक नही हुई है।

8. हमने उपस्थित पक्षकार के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध विधी सम्मत तथ्यों एवं उभय पक्षो की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार भीनमाल को राजस्व टीम का गठन कर सीमाज्ञान करवाने एवं पत्थरगढी का आदेश किया गया है। यह आदेश विधिसम्मत है। परन्तु इस आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि तहसीलदार सीमाज्ञान से पूर्व दोनो पक्षो को सीमाज्ञान तिथि की पूर्व में लिखित सूचना देगा एवं खसरा न. 1026 रकवा 0.29 है. ग्राम भागलभीम को सीमाज्ञान कार्यवाही से पूर्व मुस्तकिल बिन्दु कायम कर उस मुस्तकिल बिन्दु के मुताबिक नक्शा सभी दुरिया, नापो की रिपोर्ट में अंकन कर स्पश्ट रिपोर्ट तैयार कर तदुपंरात स्थाई सीमा चिन्ह को निर्धारित करने के उपरांत पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न करे। तदानुसार यह अपील स्वीकार योग्य

9.10.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

नही होने से खारीज करते हुए उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.06.2019 को यथा संशोधित किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीनमाल के प्रकरण संख्या 01/2019 दिनांक 10.6.2019 बअनवान मंगलपुरी बनाम हिमता वगैरा के निर्णय को यथा संशोधन को बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 29.10.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

29.10.24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)